UPGK010102882025

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट) , गोरखपुर।

अन्तिम रिपोर्ट संख्या-1012/2025

अनिल कुमार----- बनाम -----बालेन्द्र यादव वगै०

दिनांक 11-03-2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। वादी मुकदमा अनिल कुमार उपस्थित है।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना-सिकरीगंज, जिला- गोरखपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०-452/2024, अंतर्गत धारा-303(2),115(2),352,351(3) बी०एन०एस० व धारा- 3(2)va SC/ST Act विरूद्ध बालेन्द्र यादव वगै० पंजीकृत हुई। बाद विवेचना मामले में कोई अपराध न पाते हुए विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज करने के पश्चात दिनांक 16-09-2025 से वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया। वादी मुकदमा न्यायालय उपस्थित आया। वादी द्वारा आज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी के खेत में रात में कुछ लोग चोरी से मिट्टी निकाल रहे थे। जिसकी जानकारी पर प्रार्थी गया तो लोग प्रार्थी को गालियां देते भाग गये। प्रार्थी रात होने के कारण किसी को पहचान नही पाया बाद में कुछ लोगों के गलत बयानी पर विश्वास कर थाने पर तहरीर दे दिया था। प्रार्थी किसी को पहचान नही पाया था। बाद में विवेचक ने मुकदमें में अन्तिम आख्या प्रस्तुत कर दिया है। अन्तिम आख्या श्रीमान जी द्वारा स्वीकृत होने पर प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी मुकदमा नही लड़ना चाहता है। अतः यह निष्कर्ष निकाले जाने का आधार पर्याप्त है कि प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में वादी को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा उपलब्ध साक्षियों का बयान अंकित कर विधिक विवेचना करते हुए युक्तियुक्त न्यायोचित निष्कर्ष निकाला गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए थाना-सिकरीगंज, जिला- गोरखपुर की पुलिस द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त एफ.आर. स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार थाना-सिकरीगंज, जिला- गोरखपुर की पुलिस द्वारा थाना हाजा के मु०अ०सं०-452/2024, अंतर्गत धारा-303(2),115(2),352,351(3) बी०एन०एस० व धारा- 3(2)va SC/ST Act विरूद्ध बालेन्द्र यादव वगै० के मामले में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रवीण कुमार सिंह-द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.-UP6051